न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 2018/00026
02/2018

अपीलान्टस

1. जामा पुत्र भीमाजी कौम कलबी उम्र 70 वर्ष
2. मृतक मोटा वल्द भीमाजी कौम कलबी निवासी रूपावटी कलां तहसील रानीवाड़ा हाल निवासी जालमपुरा तहसील रेवदर के कायम मुकाम वारीसान
   2/1 प्रकाश कुमार
   2/2 पारस कुमार पिसरान मोटाजी
   2/3 श्रीमति भीखीदेवी पत्नि मोटाजी
   2/4 झमु पुत्री मोटाजी पत्नि रमेशजी हाल निवासी दईपुर तहसील रानीवाड़ा
   2/5 काली पुत्री मोटाजी पत्नि रणछोडाजी निवासी गांग तहसील रानीवाडा
   2/6 मंजू पुत्री मोटाजी पत्नि अरविन्दजी हाल निवासी धानोल तहसील रानीवाडा जिला जालोर

रेस्पोडेण्टस

1. कलाराम वल्द वनाराम
2. चतराराम वल्द पांचाराम
3. हिन्दूराम वल्द दौलाराम तमाम जातियान कलबी साकिनान रूपावटी कलां तहसील रानीवाडा
4. ग्राम पंचायत धामसीन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धामसीन तहसील रानीवाडा

म्युटेशन अपील बनाराजगी म्युटेशन संख्या 352 दिनांक 04.11.2016

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित
2. रेस्पोडेण्टस अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई

–: निर्णय :–

दिनांक – 11.09.2019

अपीलाण्टस द्वारा रेस्पोडेण्टस के विरूद्व एक म्युटेशन संख्या 352 दिनांक 04.11. 2016 के संबंध में अपील प्रस्तुत की है जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रूपावटी कंला तहसील रानीवाड़ा में अपीलाण्टस की शामलाती खातेदारी आराजी नवील खसरा नम्बर 107 रकबा 4.46है. खसरा नम्बर 119 रकबा 2.08हे. खसरा नम्बर 121 रकबा 0.30हे. खसरा

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा

Scanned by CamScanner

नम्बर 122 रकबा 11.10हे. जूमले रकबा 17.94हे. आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी परबतसिंह,दलपतसिंह, भुरसिंह, तगसिंह, पिसरान गुमानसिंह 1/4 कौम राजपुत साकिन हड़मतिया तहसील रेवदर, सोमाराम, लखमाराम, वालाराम पिसरान वगता 1/4 दरगा, जामा, मोटा, पिसरान भीमा, जोरा चतराराम पिसरान पांच, हिन्दुराम वल्द दोला, कला वल्द मना 1/4 हिस्सा केवदा, जीवा पिसरान रामा, लवगो पत्नि रामा, गोवा वल्द नगा 1/4 हिस्सा कौम कलबी सा. देह खातेदार के नाम दर्ज थी तथा अपीलाण्टस संख्या 1व 2 ने अपने 1/24 हिस्से अर्थात रकबा 0.747हे. में से रकबा 0.4275हे. आराजी का बैचान जरिये बैचान दस्तावेज दिनांक 18.07.2016 को रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 से 3 को किया था तथा रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 से 3 के पक्ष में निष्पादीत उक्त बैचान दस्तावेज के आधार पर म्युटेशन संख्या 352 भरा गया जिसे ग्राम पंचायत धामसील द्वारा दिनांक 04.11.2016 को स्वीकृत किया गया तथा उक्त म्युटेशन संख्या 352 के जरिये विवादीत आराजी नवीन खसरा नम्बर 107 रकबा 4.46हे., खसरा नम्बर 119 रकबा 2.08हे. खसरा नम्बर 121 रकबा 0.30हे. खसरा नम्बर 122रकबा 11. 10हे. जुमले रकबा 17094हे. में स्थित अपीलाण्टस के सम्पूर्ण हिस्से की आराजी गलत रूप से रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दी। जिससे आहत होकर यह म्युटेंशन अपील अपीलाण्टस द्वारा निम्न आधारों पर पेश की है।

म्युटेशन संख्या 352 की कार्यवाही बैचान दस्तावेज दिनांक 18.07.2016 पर आधारित है,परन्तु उक्त म्युटेशन संख्या 352 की कार्यवाही उक्त बैचान दस्तावेज में उल्लेखित तथ्यों के विपरित कर अपीलाण्टस की सम्पुर्ण आराजी रेस्पोडेण्टस संख्या 1से 3 के नाम गैर कानूनी तरीके से दर्ज कर दी। इसलिए उक्त म्युटेशन संख्या 352 की कार्यवाही अपीलाण्टस के विरूद्व अवैध व शुन्य है। तथा म्युटेशन संख्या 352 को स्वीकृत करते समय अपीलाण्टस को न तो कोई नोटिस दिया गया तथा न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। इसलिये म्युटेशन संख्या 352 की कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित होने से काबिल निरस्त है। उक्त म्युटेशन संख्या 352 के जरिये अपीलाण्टस को अपनी खातेदी आराजी के 0.32हे. आराजी से गलत तरीके से वंचित कर बिना किसी आधार के उक्त आराजी रेस्पोडेटस संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज की है। इसलिये म्युटेशन संख्या 352 की कार्यवाही काबिल निरस्त है।

उक्त म्युटेशन संख्या 352 की कार्यवाही अपीलाण्टस के पीठ पिछे बैचान दस्तावेज दिनांक 18.07.2016 में उल्लेखित तथ्यों के विपरित की गई हैं, जिसकी जानकारी अपीलाण्टस को प्रथम बार दिनांक 25.04.2018 को अपीलाण्टस संख्या 2 के फौतेदगी म्युटेशन स्वीकृत करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर हुई। इसलिये अपीलाण्टस की अपील अंदर म्याद शुमार किया जाना न्याया हित में आवश्यक है। जिस हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश हैं।

रेस्पोडेण्टस की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को सुना गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत म्युटेशन अपील राजस्व रेकर्ड में बेचान दस्तावेज के अनुरूप इन्द्राज से संबंधित है। जिसकी अपीलाण्टस को अपीलण्ट संख्या 2 के फौतेदगी म्युटेशन स्वीकृत करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर दिनांक 25.04.2018 को हुई। ग्राम पंचायत धामसीन द्वारा ना0 क0 संख्या 352 स्वीकृत करते समय अपीलाण्टस को सुनवाई का अवसर नही दिया

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा

गया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के विपरीत होने से अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

हमने अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन कर मनन किया। अपीलाण्टस द्वारा बेचान पंजीबद्व दस्तावेज दिनांक 18.07.2016 का अध्ययन किया, उक्त बेचान दस्तावेज में क्रेता रेस्पोडेण्टस ने कृषि भूमि की खरीद की गयी है, जिसमे क्रेता द्वारा निम्नानुसार उल्लेखित है।

" ग्राम रूपावटी कलां के खसरा नम्बर 107 रकबा 4.46 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 119 रकबा 2.08 हैक्टर किस्म बारानी दोयम ,खसरा नम्बर 121 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 122 रकबा 11.10 हैक्टर किस्म बारानी दोयम जुलमे रकबा 17.94 हैक्टर मे से हम बेचानकर्त्ता के सम्पूर्ण हिस्से अर्थात 1/24 हिस्से अर्थात रकबा 0.7475 हैक्टर में से रकबा 0.4275 हैक्टर की आराजी का बैचान आज रोज आप खरीददार 1. श्री कलाराम पुत्र वनाराम कौम कलबी साकिन रूपवटी कलां तहसील रानीवाडा ,2. श्री चतराराम पुत्र श्री पांचाराम कौम कलबी साकिन रूपावटी कलां व 3. श्री हिन्दुराम पुत्र श्री दोलाराम कौम कलबी साकिन रूपावटी कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर को बेचान किया गया तथा कब्जा करवा दिया गया है। "

उक्तानुसार बेचान दस्तावेज के संदर्भ में नामान्तरण संख्या 352 खोला गया जिसका अवलोकन किया। जिसमें निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :

नामान्तरण संख्या 352 दिनांक 4.11.2016 के स्वीकृत अनुसार जामा ,मोटा पिसरान भीमा की बजाय कलाराम वल्द वनाराम, चतराराम वल्द पांचा, हिन्दुराम वल्द दोलाराम दर्ज किया गया।

उक्त इन्द्राज के आधार पर जमाबंदी में इन्द्राज किया गया जो बेचान दस्तावेज के अनुरूप नही है, जो राजस्थान भू–राजस्व (अभिलेख) नियम 1957 के प्रावधानों के अनुरूप नही है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरण संख्या 352 विधिक त्रुटि का होने से राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करने हेतु उक्त नामान्तरण को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत धामसीन द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 352 स्वीकृत दिनांक 04.11.2016 को निरस्त किया जाता है। तथा उक्त नामान्तरणकरण के आधार पर जमाबंदी में किये गये इन्द्राज भी प्रभाव शुन्य धोषित किये जाते है। तथा उक्त ना0 संख्य 352 को तहसीलदार रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि आप अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत बेचान दस्तावेज दिनांक 18.07.2016 के अनुरूप खसरा नम्बर 107 रकबा 4.46 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 119 रकबा 2.08 हैक्टर किस्म बारानी दोयम ,खसरा नम्बर 121 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 122 रकबा 11.10 हैक्टर किस्म बारानी दोयम जुलमे रकबा 17.94 हैक्टर मे से बेचानकर्त्ता के सम्पूर्ण हिस्से अर्थात 1/24 हिस्से अर्थात रकबा 0.7475 हैक्टर में से रकबा 0.4275 हैक्टर की आराजी का खरीदारान् 1.

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा

Scanned by CamScanner

श्री कलाराम पुत्र वनाराम कौम कलबी साकिन रूपवटी कलां तहसील रानीवाडा ,2. श्री चतराराम पुत्र श्री पांचाराम कौम कलबी साकिन रूपावटी कलां व 3. श्री हिन्दुराम पुत्र श्री दोलाराम कौम कलबी साकिन रूपावटी कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर के नाम नामान्तकरण खोलने की विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें।

निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

11/09/2019

(प्रकाशचन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2019.11.25 12:36:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: